



परिपत्र

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, वन क्षेत्रों एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की निजी भूमि की फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए दिशा-निर्देश।

बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, वन क्षेत्रों एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की निजी भूमि की फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए योजना लागू की जावेगी। प्रायः यह देखा गया है कि चारदीवारी/अवरोध के अभाव में पूर्व विकसित एवं विकसित किये जा रहे चारागाह, वन भूमि में किये गये विकास कार्यों एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अपना खेत अपना काम के तहत पात्र लाभार्थियों की निजी भूमि में किये गये पौधारोपण एवं फसल को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि द्वारा काफी नुकसान पहुँचाया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह भूमि/वन भूमि/पात्र लाभार्थियों की निजी भूमियों पर चारदीवारी/अवरोध का कार्य अनुमत है।

1. **प्रस्तावित कार्य:-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट मोड़ में उक्त भूमियों के विकास कार्यों के साथ-साथ चारदीवारी/अवरोध के तहत निम्न कार्य किये जा सकते हैं:-

1.1 **डिच-कम-बण्ड अवरोध:-** जहाँ मिट्टी खुद सकती हो वहाँ पशुरोधक खाई का निर्माण किया जावे। पशुरोधक खाई की ऊपर से चौड़ाई 5 फिट नीचे से चौड़ाई 3 फिट और गहराई 4 फिट होनी चाहिए, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से डिच का निर्माण भूमि के बाहर की तरफ किया जावे। खाई खुदाई में निकली मिट्टी से एक डोल/बण्ड का निर्माण चारागाह/वन भूमि/निजी भूमि के अन्दर की ओर करवाये जावे। डोल की मिट्टी खाई से 2 फिट दूर डालनी चाहिए ताकि बरसात में मिट्टी खिसकने पर खाई में न जावे। इस डोल/बण्ड पर कांटेदार पौधे लगाये जाने चाहिए। इसके लिए सघन बीजारोपण अथवा कटिंग लगाई जानी चाहिए। बीजारोपण हेतु देसी बबूल जैसे कांटेदार प्रजातियों का चयन करें। छोटे पौधे भी लगाये जा सकते हैं।

1.2 **वेजिटेटिव अवरोध/जैविक बाड़:-** अगर गाँव में थोर भली प्रकार लग जाती है तो थोर का प्रयोग जैविक बाड़ बनाने में प्रभावी रूप से किया जावे। स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार लाईव अवरोध हेतु कटीली झाड़ियाँ, जल्दी बढ़ने वाले उपयोगी पेड़ इत्यादि का रोपण भी किया जा सकता है।

1.3 **ड्राई स्टोन वॉल/चारदीवारी:-** ऐसे क्षेत्र जहाँ पत्थर स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध हो वहाँ चारागाह भूमि/वन भूमि/निजी भूमि के चारों तरफ ड्राई स्टोन वॉल अथवा मिट्टी गारे में स्टोन वॉल का निर्माण किया जावे। इस कार्य हेतु स्थानीय

रूप से कार्य स्थल के नजदीक उपलब्ध पत्थर को अकुशल श्रमिकों द्वारा तुड़वाकर एवं एकत्र करवाकर कार्यस्थल पर लाया जावे। आवश्यकतानुसार पत्थर का परिवहन महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से देय होगा। ड्राई स्टोन वॉल को सुदृढ करने के लिए उसके शीर्ष पर सीमेंट कंक्रीट कोपिंग का कार्य भी किया जा सकता है। ऐसी भूमि जहाँ खुदाई नहीं हो सकती है एवं पत्थर स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध होने की स्थिति में ड्राई स्टोन वॉल ही बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सभी तरह की बाड़ में खासकर पशुरोधक खाई व पत्थर की दीवार में जहाँ पर ढाल हो वहाँ पानी निकासी हेतु जगह छोड़ी जावे।

2. कन्वर्जेन्स एवं राशि की व्यवस्था :

- 2.1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की निजी भूमि पर व्यक्तिगत लाभ के कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 04.05.2011 को जारी अपना खेत अपना काम दिशा-निर्देश, 2011 एवं इस क्रम में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित आदेश (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार कार्यवाही की जावे। निजी भूमि पर किये जाने वाले कार्यों हेतु राशि महात्मा गांधी नरेगा मद से वित्त पोषित की जावेगी।
- 2.2 चारागाह एवं वन भूमि पर महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से बिन्दु सं. 1 में वर्णित समस्त अनुमत कार्य लिये जा सकेंगे। चारागाह एवं वन भूमि क्षेत्र के मुख्य द्वार पर लोहे का दरवाजा एवं चौकीदार हट आदि ऐसे कार्य जो महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत नहीं है, उनके लिए राशि की व्यवस्था अन्य योजना मद से वित्त पोषित कर की जायेगी।
3. तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति:— योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की गाइड-लाइन के अनुसार समय-समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।
4. क्रियान्वयन एजेन्सी :
 - 4.1 योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत रहेगी।
 - 4.2 चारागाह क्षेत्र में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यकारी संस्था रहेगी।
 - 4.3 वन भूमि पर किये जाने वाले कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग रहेगा।
5. कार्यों की गुणवत्ता :
 - 5.1 कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावें। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जावें।
 - 5.2 कार्य के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का समय-समय पर प्रयोगशाला परीक्षण कराया जावें।

5.3 कार्यो में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

6. कार्यो की मॉनिटरिंग :


6.1 योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप एवं मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत के तहत समय-समय पर जारी निर्देश यथावत लागू होंगे।

6.2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जावेगी।

6.3 पंचायत समिति अंतर्गत पदस्थ कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता तथा कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला स्तर पर पदस्थ अधिशाषी अभियंता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त कार्यो की समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगे।

7. एम.आई.एस.:- कार्यो की नियमानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत के दिशा-निर्देशानुसार एम.आई.एस पर एन्ट्री की जायेगी।

ऊपर वर्णित संरचनाओं का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी सामर्थ्य मैनुअल तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कौशल मैनुअल तथा महात्मा गांधी नरेगा के दिशा-निर्देशानुसार किया जावेगा। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


(सुदर्शन सोठी)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, सचिव महो., मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 8 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
- 9 अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 10 अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

३३

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस